रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1352] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 12, 2017/वैशाख 22, 1939
No. 1352] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 2017/VAISAKHA 22, 1939

पर्यटन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2017

का.आ. 1532(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यता को समाप्त करता है ;

और, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार (जिसे इसके पश्चात मंत्रालय कहा जाएगा) शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देश की विशाल पर्यटन क्षमता के दोहन का लाभ लेने के लिए कौशल अंतर को कम करने, और जनशक्ति के उन्नयन तथा प्रशिक्षित करने (जिसे इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) के मूल उद्देश्य से युवाओं में नियोजनीय कौशल के सृजन के लिए छह दिनों से छह मास की अवधि के अनेक लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (जिसे इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का प्रसाशन करता है।

और, पूर्वोक्त स्कीम मंत्रालय के अपने संस्थानों, राज्य होटल प्रबंध संस्थानों, पाक कला संस्थानों, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान (आईआईटीटीएम), राष्ट्रीय पर्यटन और आतिथ्य प्रबंध संस्थान (एनआईटीएचएम), हैदराबाद, भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी), केरल पर्यटन और यात्रा अध्ययन संस्थान (केआईटीटीएस), इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन लि. (आईआरसीटीसी), वर्गीकृत होटल, राज्य पर्यटन विकास निगम (एसटीडीसी) तथा अन्य निर्दिष्ट कार्यान्वयन अभिकरणों (जिन्हें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से प्रस्थापित की गई है।

और, कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से प्रस्थापित पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय उपगत अन्तर्वलित है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्—

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने के इच्छुक किसी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्यांक के लिए अधिकृत होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।

(2) स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने के इच्छुक व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है किन्तु स्कीमों के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने का इच्छुक है उनसे 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना अपेक्षित है, परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसा व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (केन्द्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जा सकेगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय अपने ऐसे कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, जो किसी व्यक्ति से आधार देने की अपेक्षा करता है। ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिनका आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया गया है, नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करने की अपेक्षा की जाती है और यदि संबंधित ब्लाक या तालुक या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है तो मंत्रालय से उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान करने या स्वयं रजिस्ट्रार, यूआईडीएआई बनकर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा होगी:

परन्तु फायदाग्रहियों को आधार समनुदेशित किए जाने तक, स्कीम के अधीन ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए फायदे प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:—

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति: और

(ख) (i) फोटो सहित बैंक की पासबुक; या

(ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान कार्ड; या

(iii) राशन कार्ड; या

(iv) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता सं. (पेन) कार्ड; या

(v) पासपोर्ट; या

(vi) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति ; या

(vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी कोई पहचान प्रमाणपत्र, जिस पर फोटो लगी हो; या

(viii) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जाँच उस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध प्रसुविधा प्रदान करने के लिए, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सभी व्यवस्थाएं करेगा जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं अर्थात:—

(क) व्यक्तिगत आवेदकों या फायदाग्रहियों को स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने हेतु आधार की आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाने के लिए मीडिया और व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और उन्हें अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए 31 मार्च 2017 तक स्वयं को नामांकित करवाने के लिए सलाह दी जाएगी, यदि उनका पहले से नामांकन नहीं किया गया है। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची भी उपलब्ध कराई जाएगी। (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है)

(ख) यदि फायदाग्राही, ब्लाक या तहसील या तालुक में नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ हैं तो मंत्रालय से उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाएं सृजित करने की अपेक्षा की जाती है और फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जा सकेगा कि वे कार्यान्वयन अभिकरणों के सम्बंधित अधिकारी के साथ या इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उप-पैरा (3) के परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देकर आधार के लिए नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर करें।

3. यह अधिसूचना, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 23012/04/2016-डीबीटी प्रकोष्ठ]

सुमन बिल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TOURISM

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2017

S.O. 1532(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Tourism in the Government of India (hereinafter referred to as the Ministry) is administering multiple short duration training programmes (hereinafter referred to as the Scheme) of six days to six months duration for creation of employable skills amongst the youth (hereinafter referred to as the beneficiaries) with the basic objective to reduce the skill gap, and to train and up-grade manpower (hereinafter referred to as the benefits) in order to capitalise on the vast tourism potential of the country both in urban as well as rural areas;

And whereas, the aforesaid Scheme is offered through the Ministry's own Institutes, State Institutes of Hotel Management, Food Craft Institutes, Indian Institute of Tourism and Travel Management (IITTM), National Institute of Tourism and Hospitality Management (NITHM), Hyderabad, India Tourism Development Corporation (ITDC), Kerala Institute of Tourism and Travel Studies (KITTS), Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTC), Classified hotels, State Tourism Development Corporations (STDCs) and other designated implementing agencies (hereinafter referred to as the Implementing Agencies);

And whereas, the aforesaid Scheme offered through the Implementing Agencies involve expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:–

1. (1) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits under the Schemes is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 31/03/2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies which requires an Individual to furnish Aadhaar is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agency is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by Ministry itself becoming UIDAI registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:—

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or (ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or (iii) Ration Card; or (iv) Permanent Account Number (PAN) Card; or (v) Passport; or (vi) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on an official letter head; or (viii) Any other document as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Implementing Agencies shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to applicants or beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Schemes and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 31/03/2017 in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials specifically designated by the Ministry or through the web portal provide for the purpose.

3. This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 23012/04/2016-DBT CELL]

SUMAN BILLA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.14 08:59:08 +05'30'